सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 08, सोमवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 30, 2023 *Kartika 08, Monday , Saka 1945- October 30, 2023*	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

दिनांक 30 अक्तूबर, 2023
8 कार्तिक, 1945 (शक)

अधिसूचना

संख्या डी-220/**एफ**.3(1)(1)**प्रथम**/**निर्वा**./2023 :- **यतः,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार राजस्थान राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, दिनांक **14 जनवरी, 2024 (रविवार)** को सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात् उसकी पदावधि के अवसान पर भंग मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (1) की शर्तों पर, राज्य में नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राज्य के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें।

राज्यपाल के नाम पर उनके आदेश से,

उषा शर्मा
(राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव)

(ELECTION DEPARTMENT)

Dated: 30th October, 2023
8 Kartika, SAKA 1945

NOTIFICATION

No. D-220/F3(1)(1)I/Elec./2023 :- WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Rajasthan, unless sooner dissolved, shall continue upto and including the **14th January, 2024** (Sunday)**,** and shall thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Rajasthan:

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Governor of the State of Rajasthan is hereby pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under.

By order and in the name of Governor,

USHA SHARMA,
Chief Secretary to the
Government of Rajasthan

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 30 अक्तूबर, 2023
8 कार्तिक, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं0 464/राज0-वि0स0/2023:- यतः, राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी तथा 30 अक्तूबर, **2023** को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में से समस्त से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम तथा **तद्धीन** बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दे;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः-

(अ) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नियत करता हैः-

(क)	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	:	6 नवम्बर, 2023 (सोमवार);
(ख)	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	7 नवम्बर, 2023 (मंगलवार);
(ग)	अभ्यर्थिताए वापस लेने की अंतिम तारीख	:	9 नवम्बर, 2023 (गुरूवार);
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।	:	25 नवम्बर, 2023(शनिवार);
(ड)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा।	:	5 दिसम्बर, 2023 (मंगलवार);

और

(आ) **07:00 बजे पूर्वाहन से 06:00 बजे अपराहन** तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

अश्वनी कुमार मोहल
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 30th October, 2023
8 Kartika, SAKA 1945

NOTIFICATION

No. **464/RJ-LA/2023** :- WHEREAS, the Governor of the State of Rajasthan has, by notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), published in the official gazette of the State on the **30th October, 2023**, been pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State of Rajasthan, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) **APPOINTS,** with respect to the said election in each of the Assembly Constituencies-

i. the **06th November, 2023 (Monday),** as the last date for making nominations;

ii. the **07th November, 2023 (Tuesday),** as the date for the scrutiny of nominations;

iii. the **09th November, 2023 (Thursday),** as the last date for the withdrawal of candidatures;

iv. the **25th November, 2023 (Saturday),** as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

v. the **05th December, 2023 (Tuesday),** as the date before which the election shall be completed; and

(B) **Fixes the hours** from **7.00 A.M. to 6.00 P.M**., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

ASHWANI KUMAR MOHAL
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।